राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
165/2020	रमेश / प्रहलाद	

04/1/21

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई | संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा प्रस्तुत कर उसके साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किये जाने कि एक तरफा में इल्तदुआ की गयी | जिस पर अपनी आदेशीका दिनांक 27/10/2020 के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर एकतरफा मे जारी किया जाना उचित नही समझा गया | जिसके विरुद्ध प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी | जिस पर उभयपक्षों की बहस समायत की गयी |

अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | दौराने बहस रेस्पो. संख्या 1 की और से शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि जगदीश पुत्र बक्शीराम रेस्पो. संख्या 1 के बड़े भाई है जो आज दिनांक तक जिन्दा है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण/वादी जो इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण है, के द्वारा तथ्यों के छुपा कर वाद एवं अपील पेश की है, जिससे उन्हें कोई लाभ इस स्तर पर नही दिया जा सकता | रेस्पो. द्वारा उद्धरित उक्त तथ्य के विरोध स्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा जगदीश पुत्र बक्शीराम के फौत हो जाने के प्रमाण स्वरूप मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि कोई दस्तावेज प्रकरण की इस स्टेज पर होना प्रकट नही किया | इस सन्दर्भ में पत्रावलीयो के अवलोकन से भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इस अपील पत्रावली में अंकित तथ्यों से रेस्पो. से इस कथन की पुष्टी होती है कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं इस अपील में जगदीश पुत्र बक्शीराम को फौत होना अंकित किया गया है एवं उक्त तथ्य के काउन्टर में रेस्पो. संख्या 1 द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी सत्यता पर अब संदेह का कोई कारण शेष नही रहता | इसके अतिरिक्त अस्थाई निषेधाज्ञा पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभी अग्रिम सुनवाई होना शेष है एवं चूँकी अब इस न्यायालय के समक्ष दोनो

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
465/2020	रमेश / प्रहलाद	

पक्ष उपस्थित आ गये है अत: प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर इस न्यायालय द्वारा पूर्व में एकतरफा में पारित आदेश दिनांक 05/11/2020 रिकॉल कर निरस्त किया जाकर न्यायहित में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है की वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर 30 दिवस में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर निस्तारण करे तदनुसार अपील अस्वीकार कर निस्तारित की जाती है। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21/01/2021 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 04/01/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर